FAX
HWL-

आदेश

चिकित्सीय, अनुकम्पा एवं अन्य प्रशासनिक सुगमता के आधार पर प्रारक्ष अवर निरीक्षक(प्रशिक्षण) से प्राप्त अभ्यावेदनों पर रिक्ति की उपलब्धता के आलोक में केन्द्रीय स्थापना समिति की दिनांक–01.06.2021 एवं बाद की तिथियों को आहूत बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त की गयी अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित प्रारक्ष अवर निरीक्षक(प्रशिक्षण) का स्थानान्तरण नीचे उनके नाम के सामने स्तम्भ–5 में अंकित जिला बल/इकाई में तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

क्र0	पदनाम	पुलिस पदाधिकारी का नाम/गृह जिला/नियुक्ति तिथि/जन्म तिथि	वर्तमान पदस्थापन जिला/ इकाई	स्थानान्तरित जिला/इकाई
1	2	3	4	5
1	प्रा0अ0नि0 (प्रशि0)	जोसेफ टुडू/गोडा (झारखण्ड)/ 16.03.83/02.03.63	नालन्दा	भागलपुर
2	प्रा0अ0नि0 (प्रशि0)	अरूण कुमार सिंह–2/पटना/ 14.08.66/15.12.85	बगहा	नालन्दा

2. निम्नांकित प्रारक्ष अवर निरीक्षक(प्रशिक्षण) का चिकित्सीय आधार पर स्थानान्तरण से संबंधित प्राप्त अभ्यावेदनों के समीक्षोपरान्त समिति द्वारा अपेक्षित एवं स्पष्ट विकल्प नहीं रहने/पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा अप्राप्त रहने/याचित स्थान हेतु अलग नीति निर्धारित होने/पर्याप्त चिकित्सीय प्रमाण–पत्र नहीं रहने /पूर्व से स्थानान्तरण हो जाने के कारण अस्वीकृत/लंबित रखने का निर्णय लिया गया है :–

क्र0	पदनाम	पुलिस पदाधिकारी का नाम/गृह जिला/नियुक्ति तिथि/जन्म तिथि	वर्तमान पदस्थापन जिला/ इकाई	समिति का निर्णय
1	प्रा0अ0नि0 (प्रशि0)	श्रवण कुमार गुप्ता/भोजपुर/20.02.65/10.12.84	कटिहार	तत्काल अस्वीकृत/ अन्य जिलों का अनुशंसित विकल्प अपेक्षित
2	प्रा0अ0नि0 (प्रशि0)	बादू प्रसाद/ नालन्दा/15.12.83/ 15.09.63	मोतिहारी	तत्काल अस्वीकृत/ अन्य जिलों का अनुशंसित विकल्प अपेक्षित

3. स्थानान्तरण संबंधित पदाधिकारियों द्वारा समर्पित विकल्प के आधार पर किया गया है। संबंधित कार्यालय प्रधान स्थानान्तरित पदाधिकारियों को विरमित करने से पूर्व उक्त कर्मियों के सेवाभिलेख की जाँच करने के उपरान्त ही जिलादेश/क्षेत्रादेश निर्गत करने की कार्रवाई करेंगे। यदि इसमें कोई भिन्नता पायी जाती है, जो एतद् संबंधी सूचना से बिहार पुलिस मुख्यालय को अविलम्ब अवगत करायेंगे। यदि किसी पुलिस पदाधिकारी का उनके वर्तमान पदस्थापन से कहीं अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया हो तो संबंधित नियंत्री पदाधिकारी उन्हें उसी जिला/इकाई से उपरोक्त स्थानान्तरित स्थान के लिए विरमित कर देंगे।

4. सभी संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को अविलम्ब विरमित कराना सुनिश्चित किया जाए एवं अनुपालन प्रतिवेदन पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाए।

5. उक्त स्थानान्तरण अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है। अतः यात्रा/स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।

6. इस पर सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त है।

11/6/21

पुलिस उप–महानिरीक्षक (कार्मिक)
बिहार, पटना

ज्ञापांक / पी0—02 / 07—06—17—2021 / ...471.....

बिहार पुलिस मुख्यालय

(कार्मिक कल्याण प्रभाग)

पटना, दिनांक...11/06/2021

प्रतिलिपि :—

1. सभी संबंधित अपर पुलिस महानिदेशक / सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / सभी पुलिस उप—महानिरीक्षक / सभी वरीय पुलिस अधीक्षक / सभी पुलिस अधीक्षक / सभी प्राचार्य, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

2. आई0टी0 प्रबंधक, बिहार पुलिस मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

11/6/21

पुलिस उप—महानिरीक्षक (कार्मिक)

बिहार, पटना